न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **आलोक रंजन,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 015/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 12.08.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/160

रंगलाल पिता ताराचन्द जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी भट्टकोटड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा, बमिसल क्रमांक 17/2024 अतिक्रमण निर्णय दिनांक 25.07.2024

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 18.02.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का मौजा भट्टकोटडी, पटवार हल्का बडौली माधोसिंह के आराजी नम्बर 273 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर चबूतरा बना अवैध अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 25.07.2024 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील निम्बाहेड़ा के पटवार हल्का बडौली माधोसिंह की रिपोर्ट के आधार पर मौजा भट्टकोटडी की बिलानाम खनन प्रयोजनार्थ आराजी संख्या 273 रकबा 0.01 हैक्टैयर भूमि पर अपीलांट द्वारा चबूतरा निर्माण कर नाजायज कब्जा एवं अतिक्रमण मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि बिलानाम माईनिंग की होना मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि माईनिंग की नही होकर अपीलांट ने मौजा भट्टकोटडी की आराजी नम्बर 291 रकबा 0.01 है. भूमि के अदला-बदली में प्राप्त की जिस पर आवासीय मकान का निर्माण करवाया व उसके आगे भी आराजी नम्बर 275 आबादी भूमि स्थित है जिस पर अपीलांट की चबूतरी बनी हुई है। आराजी नम्बर 273 रकबा 0.23 हैक्टेयर खनन प्रयोजनार्थ दर्ज है जिसके संबंध में कार्यवाही करने का अधीनस्थ तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए यह निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अवैधनिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.07.2024 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 015/2024 (रा. अ.)
रंगलाल पिता ताराचन्द जाति धाकड़ निवासी भट्टकोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि बिलानाम होकर खनन प्रयोजनार्थ दर्ज है तथा मौके पर आने-जाने हेतु रास्ता बना हुआ है अपीलांट द्वारा अपने 0.01 हैक्टेयर में बने मकान के आगे पत्थर का चबूतरा बना दिया अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिससे रास्ता अवरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांट का पुत्र अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अतिक्रमण हटाने हेतु अवसर दिए जाने के बावजूद भी अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने से प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं जुर्माने का निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट का कथन कि बिना सुनवाई का अवसर दिए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी एवं पटवार हल्का बडौली माधोसिंह की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भट्टकोटडी की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 273 रकबा 0.23 हैक्टेयर किस्म बिलानाम खनन प्रयोजनार्थ भूमि है जिसमें से रकबा 0.01 हैक्टैयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर चबूतरा बना रखा है तथा यह भूमि आने-जाने के लिए रास्ते हेतु उपयोग होने से तथा अपीलांट द्वारा चबूतरा बना देने से मौके पर रास्ता अवरूद्ध हो रहा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत् प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 015/2024 (रा. अ.)
रंगलाल पिता ताराचन्द जाति धाकड़ निवासी भट्टकोटडी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ बनाम तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। अतः भूमिधारी नायब तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

पटवार हल्का बडौली माधोसिंह की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम भट्टकोटडी की आराजी नम्बर 273 रकबा 0.23 है. में से रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि किस्म बिलानाम खनन प्रयोजनार्थ होकर माईनिंग लीज की भूमि होने तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(आलोक रंजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official